म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
CIN: U40109MP2001SGC014880
रजिस्टर्ड आफिसः ब्लाक नं. 2, शक्ति भवन रामपुर,जबलपुर (म.प्र.) 482008
दुरभाष : (0761) 2702036, 2702041
फेक्स : (0761) 2664450, e-mail:ce.ca@mptransco.nic.in

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/सू.काअधि./II/ 1940 दिनांक 14 JUL 2020

आदेश

म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) में निहित प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु श्री आर.के. खण्डेलवाल, मुख्य अभियंता (अउदा–निर्माण), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को "प्रथम अपीलों" के निराकरण हेतु "प्रथम अपीलीय प्राधिकारी" के रूप में नामित किया जाता है, ताकि वे अपने विभागीय कार्यक्षेत्र के अंतर्गत "लोक सूचना अधिकारियों" द्वारा अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खण्ड (क) या धारा (11) के अंतर्गत किये गये विनिश्चियों के विरूद्ध विभिन्न आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई "प्रथम अपीलों" का अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निराकरण कर सकें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार

मुख्य अभियंता (मा.संसा एवं प्रशा.)

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/सू.काअधि./ 1941 दिनांक 14 JUL 2020

प्रतिलिपिः–

1. कार्यपालक निदेशक (सीआरए)/(मानव संसाधन विकास संस्थान), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
2. मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार)/(अति उच्च दाब–संधारण एवं निरीक्षण)/(प्रोक्योरमेंट–आई.टी एवं ई.आर.पी.)/(योजना एवं रूपांकन)/(राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/(कार्य), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
3. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
4. श्री आर.के. खण्डेलवाल, मुख्य अभियंता (अउदा–निर्माण), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
5. अति. मुख्य अभियंता (आई.टी एवं ई.आर.पी.)/(सिविल–ट्रांस)/(ट्रांस–पश्चिम क्षेत्र)/(ट्रांस–मध्य क्षेत्र)/(ट्रांस–पूर्व क्षेत्र)/(सतर्कता), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
6. वेब मास्टर, कार्यालय–मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट एवं आई.टी–ई.आर.पी), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर–वेब साइट पर होस्ट करने हेतु।
7. निज सहायक संबद्ध प्रबंध निदेशक, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
8. निज सहायक संबद्ध निदेशक (तकनीकी), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।

टीप– क्रमांक–4 के लिये– कृपया इस आदेश की प्रति अपने विभागीय कार्यक्षेत्रांतर्गत सभी "लोक सूचना अधिकारियों" को इस निर्देश के साथ उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें कि, "लोक सूचना अधिकारी" द्वारा जब भी किसी आवेदक को सूचना/दस्तावेज प्रदान किये जावें, तो वह पत्र में उपरोक्तानुसार आपके नाम तथा पते का उल्लेख "प्रथम अपीलीय प्राधिकारी" के रूप में करे, ताकि "लोक सूचना अधिकारी" के विनिश्चय से व्यथित रहने की स्थिति में, आवेदक द्वारा उपरोक्त आदेशानुसार नामित "प्रथम अपीलीय प्राधिकारी" के समक्ष "प्रथम अपील" दायर की जा सके।

अधीक्षण अभियंता–दो
कार्या–मुख्य अभियंता (मा.संसा एवं प्रशा.)